435

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2013 पुनरीक्षण R-4230-III/13

1. बद्री पटेल पुत्र श्री बंशगोपाल पटेल
2. रामसनेही पटेल पुत्र श्री बंशगोपाल पटेल
3. राजू पटेल पुत्र श्री बंशगोपाल पटेल
4. रजवा पटेल पुत्र श्री बंश गोपाल पटेल

समस्त निवासीगण ग्राम सड़वाकोल तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामबदन पुत्र श्री हल्कू पटेल
2. मोहन पुत्र श्री हल्कू पटेल
3. सुरेश पुत्र श्री हल्कू पटेल
4. गुलाब पुत्र श्री हल्कू पटेल

समस्त निवासीगण ग्राम सड़वाकोल तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक सरवई तहसील गौरिहार जिला छतरपुर द्वारा रा.प्र.कं. 2/ए–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 15.10.13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4230-तीन/2013 जिला छतरपुर बद्री विरूद्ध रामबदन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक गौरिहार के प्रकरण क्रमांक 02/ए-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15-10-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31.01.19 सदस्य	